रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223192
CG-DL-E-19112020-223192

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3603] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/ कार्तिक 22, 1942
No. 3603] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का.आ.4104 (अ).– केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2741 (अ) तारीख 11.08.2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले के हदगांव तालुके में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के कि.मी. 262.600कि.मी.से 269.000 कि.मी.और 643.200 से.618.400 कि.मी. तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि),अनुरक्षण,प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 13.10.2020" को "दैनिक देशोन्नती" और "इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के कि.मी.262.600 से कि.मी.269.000 व कि.मी.643.200 से कि.मी.618.400 तक के भूखण्ड (वारंगा-महागांव सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: नांदेड**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हदगांव				
	गांव का नाम: कौठा				
1	9	निजी	कृषि	0.0013	शेख युनुस शेख मोहीदीन (९)
2	9	निजी	कृषि	0.0146	खमरुदिन अ.गणी शे कलीम शे.आलम शे सादीक शे फकरु (९)
3	9	निजी	कृषि	0.002	मिर्झा सत्तार बेग अत्तार बेग (९)
4	9	निजी	कृषि	0.0026	प्रभाक त्रयांबकराव दमकोंडवार (९)
5	9	निजी	कृषि	0.0291	ईकबाल अ.लतीफ नुरानी रोशनबी अ.लतीफ नुरानी मेसुनाबी अ.लतीफ नुरानी अमिनाबी अ.लतीफ नुरानी (९)
6	9	निजी	कृषि	0.0021	विठलराव बापुराव देवसरकर (९)
7	9	निजी	कृषि	0.0022	गणेश पंढरीनाथ टकले (९)
8	9	निजी	कृषि	0.0022	शिवाजी बापुराव नरहरे (९)
9	9	निजी	कृषि	0.002	गुलाब आनंद्रो मोर (९)

10	9	निजी	कृषि	0.0133	गुरु गृह निमार्ण सहकारी संस्था मर्या कौठा राजेंद्र वसंतराव जावरकर राजेंद्र वसंतराव जावरकर विकास वसंतराव जावरकर शाम सुंदर कदम विठल मेघाजी जाधव राजेश मारोतराव घाटे पुंडलीक लक्ष्मण कदम रस्ता भाऊराव केरबा डोरले गोकुल फलसिंग जाधव दिलीप राजाराम बच्चेवार सुधाकर गोविंद बिचेवार रामराव दत्तात्रय शिंदे रामराव दत्तात्रय शिंदे (९)
			कुल	**0.0714**	

[फा. सं. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

S.O. 4104(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2741 (E), dated.11.08.2020 , published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km.262.600 to Km.269.000 and Km.643.200 to Km.618.400 (Wardha-Yavatmal-Waranga Phata Section) in Hadgaon Taluka District Nanded in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Deshonati" and "Indian Express" both dated 13.10.2020, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km.262.600 to Km. 269.00 & Km.643.200 to Km.618.400 (Waranga-Mahagaon Section) of NH No.361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		**District: NANDED**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hadgaon				

	Village: Kawtha				
1	9	Private	Agricultural	0.0013	Shakih Yunus Shaikh Mohiddin 9
2	9	Private	Agricultural	0.0146	Khamruddin A.Gani She. Kalim She.Alim She. Sadik She.Fakru 9
3	9	Private	Agricultural	0.002	Mirza Sattar Beg Attar Beg 9
4	9	Private	Agricultural	0.0026	Prabhakar Triyambak Damkondawar 9
5	9	Private	Agricultural	0.0291	Iqbal A.Latif Nurani Roshnibi A.Latif Nurani Maimunabi A.Latif Nurani Aminanabi A.Latif 9
6	9	Private	Agricultural	0.0021	Vithalrao Bapurao Devsarkar 9
7	9	Private	Agricultural	0.0022	Ganesh Pandharinath Takle 9
8	9	Private	Agricultural	0.0022	Shivaji Bapurao Narhare 9
9	9	Private	Agricultural	0.002	Gulab Anandrao More 9
10	9	Private	Agricultural	0.0133	Guru Grah Nirman Sahakari Sanastha Marya Kowtha Rajendra Vasantrao Javkar, Rajendra Vasantrao Javkar, Vikas Vasantrao Javkar, Shaym Sundar Kadam, Vithal Meghaji Jadhav Rajesh Marotrao Ghate Pundalik Laxman Kadam Road Bhaurao Kerba Dorle Gukul Phalsingh Jadhav Dilip Rajaram Bachewar Sudhakar Govind Bachewar Ramrao Dattatray Shinde Ramrao Dattatray Shinde 9
			TOTAL	**0.0714**	

[F.No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.19 21:45:20 +05'30'